

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 538 / 2023

अशोक कुमार (कर्मचारी आई.डी.- आरजेडीए199813006675)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय,  
राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.01.2023

आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण दौसा से भीवाड़ी किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 05.01.2023 को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवा उत्तम रही है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो दण्ड स्वरूप किया गया है। अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्वक 250 किमी. दूर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। ऐसा कोई आधार हमारे सामने प्रकट नहीं है कि दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो।
4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant*

*holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)